

कार्यालय उपनिदेशक (वि०/याँ०) फोन न० 0120-2897629  
**राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ०प्र०**

नवीन फल एवं सब्जी मण्डी स्थल साहिबाबाद, गाजियाबाद।

पत्रांक:- वि०/याँ०/गा०/2011 -

दिनांक 14.11.11

**अल्प कालीन निविदा सूचना**

निम्नलिखित कार्यो हेतु निविदा वित्तीय रूप से सुदृढ मण्डी परिषद मे विद्युत / यात्रिक कार्य मे पंजीकृत ठेकेदारों से दिनांक 30.11.11 को अपराह्न 3.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय मे आमंत्रित की जाती है एवं उसी दिन अपराह्न 3.30 बजे तक अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपस्थित निविदादाताओ अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियो के समक्ष खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र निविदा आमत्रण तिथि से एक दिन पूर्व तक कार्यालय से कार्य दिवस मे अथवा भारतीय स्टेट बैंक सी- 17-18 सेक्टर 15 वसुन्धरा गाजियाबाद के शाखा से निर्धारित मूल्य जमानत धनराशि आवश्यक प्रपत्र/प्रमाण पत्र जमा करके प्राप्त किये जा सकते है।

क्र० स०	कार्य का नाम	निविदा का मूल्य	बयाने की धनराशि	कार्य पूर्ण करने का समय	श्रेणी
01	<b>कृषि उत्पादन मण्डी समिति हाथरस (महामायानगर)</b>				
(क)	उप मण्डी स्थल महोखास मे निर्माणाधीन स श्रेणी दुकान 10 नग , नीलामी चबुतरा (6X40 मी०) 01 नग मे आन्तरिक विद्युतिकरण, एल० टी० लाईन का निर्माण एवं प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	100/00	26,000/00	छः माह	स
(ख)	उप मण्डी स्थल कैलोरा मे निर्माणाधीन स श्रेणी दुकान 10 नग , नीलामी चबुतरा (6X40 मी०) 01 नग मे आन्तरिक विद्युतिकरण, एल० टी० लाईन का निर्माण एवं प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	100/00	26,000/00	छः माह	स
02	नवीन उप मण्डी स्थल गभाना (खैर) मे निर्माणाधीन स श्रेणी दुकान 10 नग मे आन्तरिक विद्युतिकरण, एल० टी० लाईन का निर्माण का कार्य।	100/00	24,500/00	छः माह	स

- नोट:-**
- (1) उपरोक्त निविदाए सम्भागीय उप निदेशक (प्र०/विप०) राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद नवीन मण्डी स्थल अलीगढ के कार्यालय से कार्य दिवस मे निर्धारित मूल्य जमानत धनराशि आवश्यक प्रपत्र/प्रमाण पत्र जमा करके प्राप्त किये जा सकते है।
  - (2) बयाने की धनराशि का एफ० डी० आर० / सी० डी० आर०/ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के रूप मे जो उप निदेशक (वि०/याँ०) राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद गाजियाबाद के नाम बंधक हों चाहिये निविदा क्रय करते समय जमा करना अनिवार्य होगा इसके अभाव मे निविदा निर्गत किया जाना सम्भव नही होगा।
  - (3) निविदा आमत्रण तिथि 30.11.2011 को यदि कोई अवकाश घोषित होता है तो निविदा अगले कार्य दिवस मे प्राप्त एवं खोली जायेगी। शेष नियम एवं शर्त कार्यालय कार्य अवधि मे किसी भी समय देखी जा सकती है।
  - (4) निविदा मे किसी भी प्रकार का निगोशियेशन नही किया जायेगा और निविदा खुलने के पश्चात प्राप्त दरे ही अन्तिम दरे होगी और उसी के आधार पर अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।
  - (5) निविदा के दर मे दशमलव के पूर्व शून्य अंकित न होने (0 से 1 प्रतिशत के मध्य दर होने पर ) एवं दरे शब्दो मे न भरे होने पर निविदा को अवैध मानते हुए उस पर विचार नही किया जायेगा एवं निविदा अस्वीकृत कर दी जायेगी।
  - (6) निविदा के साथ रु० 100.00 का स्टाम्प पेपर जो ट्रेजरी कार्यालय से जारी हुआ हो के साथ रु० 1.00 का रेवेन्यू टिकट लगाना अनिवार्य है इसके अभाव मे निविदा पर विचार नही किया जायेगा एवं निविदा को अवैध मान लिया जायेगा।
  - (7) शासनादेश संख्या 4435 / छः-पु०-14-06-50(7)/2006 दिनांक 02.11.06 के अनुसार जिलाधीकारी महोदय से निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र एवं हैसियत प्रमाण पत्र को रु० 100/00 के स्टैम्प पेपर पर भर कर प्रारूप टी-6के रूप मे शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
  - (8) निविदा मूल्य का 13.50 प्रतिशत वैट अलग से देय होगा।
  - (9) निविदा मण्डी परिषद के विभागीय वेबसाईट [www. Upmandiparishad.in](http://www.Upmandiparishad.in) पर भी उपलब्ध है।

*A3*  
 14/11/11  
 (अवधेश सिंह)  
 उपनिदेशक (वि०/याँ०)